

नई NCERT पाठ्यपुस्तकों से प्रस्तावना हटाई गई

[स्रोत: द हिंदू](#)

[राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् \(National Council of Educational Research and Training- NCERT\)](#) ने वर्ष 2024 में जारी होने वाली कक्षा 3 और 6 की कई पाठ्यपुस्तकों से [संविधान](#) की [प्रस्तावना](#) को हटा दिया है।

- NCERT ने स्पष्ट किया है कि संगठन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समग्र विकास के लिये [प्रस्तावना](#), [मौलिक कर्तव्यों](#), [मौलिक अधिकारों](#) और [राष्ट्रगान](#) सहित भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

प्रस्तावना:

- संविधान की [प्रस्तावना](#) संविधान में नहिंति मूल संवैधानिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि:
 - भारत एक [संप्रभुता](#), [समाजवादी](#), [धर्मनिरपेक्ष](#), [लोकतांत्रिक](#) गणराज्य बनेगा जो लोगों के लिये [न्याय](#), [समानता](#) और [स्वतंत्रता](#) हेतु प्रतिबद्ध होगा।
 - इसका उद्देश्य [राष्ट्र की एकता](#) और [अखंडता](#) बनाए रखने के लिये [भाईचारे को बढ़ावा](#) देना है।
 - संविधान के अधिकार का स्रोत [भारत के लोगों के पास](#) है।
 - इसे [26 नवंबर, 1949](#) को अपनाया गया था।
- [केशवानंद भारती केस, 1973](#) और [केंद्र सरकार बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम, 1995](#) में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
- प्रस्तावना [मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करती](#) है और यह न्यायालय में परवर्तनीय नहीं है।

अधिक पढ़ें: [भारतीय संविधान की प्रस्तावना](#)